राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

खंडपीठ सिविल रिट याचिका क्रमांक 9052/2019

रवि विजयवर्गीय @ रवि शास्त्री, मैसर्स एमवीजे इंफ्राप्रोजेक्ट्स, इस्कॉन रोड, मुहाना मंडी रोड, मानसरोवर, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत सरकार, प्रमुख सचिव, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के माध्यम से।

2. प्रधान आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल, सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, स्टेच्यू सर्कल, जयपुर।

----प्रत्यार्थी

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से	:	श्री आर.सी. अग्रवाल अधिवक्ता श्री अशीन्द्र गौतम अधिवक्ता
प्रत्यार्थी (गण) की ओर से	:	श्री सिद्धार्थ बापना अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार

आदेश

रिपोर्टेबल

04/09/2023

1. यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए दायर की गई है:-

"1. प्रत्यर्थी नंबर 2 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना नियम, 2016 के लिए कराधान और जांच व्यवस्था के नियम 3 (4) के प्रावधानों के

अनुसार प्रपत्र-2 में आय की घोषणा का प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दें।

2. कोई अन्य उचित आदेश, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित पाया जाए, याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित किया जाए।"

2. वर्तमान याचिका को जन्म देने वाले आवश्यक तथ्यात्मक मैट्रिक्स संकीर्ण दायरे में हैं। प्रत्यर्थीगण के अधिकारियों ने 23.12.2016 को याचिकाकर्ता के परिसर में आईटी अधिनियम, 1961 (इसके बाद "1961 का अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 132 के तहत तलाशी और जब्ती अभियान चलाया और याचिकाकर्ता के कब्जे में 31,00,000 रुपये की नकदी मिली। याचिकाकर्ता से 23.12.2016 को जब्त की गई नकदी की सूची तैयार करने के बाद, राशि 28.12.2016 को पीडी खाते में जमा कर दी गई।

3. याचिकाकर्ता ने एक शपथ-पत्र के साथ 28.03.2017 को प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष एक आवेदन दायर करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना योजना, 2016 ('पीएमजीकेवाई योजना') का लाभ लेने का इरादा किया था। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि ऐसे आवेदन के आधार पर, इसे वैधानिक घोषणा मानते हुए, विभाग ने पीडी खाते में रखी जब्त राशि में से 15,46,900/- रुपये की राशि को समायोजित और हस्तांतरित कर दिया। पीएमजीकेवाई योजना की धारा 199घ और 199ङ की आवश्यकता के अनुसार, जो कुल घोषित आय का 49.9% आता है। याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि उसने पीएमजीकेवाई योजना की धारा 199च के प्रावधानों और व्याख्यात्मक नोट दिनांक 27.12.2016 के अनुसार बांड खरीदने के लिए घोषित आय के 25% के रूप में 31.03.2017 को 7,75,000/- रुपये की राशि भी जमा की थी। इसके बाद, 15,46,900/- रुपये और 7,75,000/- रुपये की राशि को पीएमजीकेवाई योजना के तहत रसीद के रूप में माना गया और 7750 यूनिट जेडसीबी बांड भी जारी किए गए। इस प्रकार, याचिकाकर्ता का मामला यह है कि पीएमजीकेवाई योजना, 2016 का लाभ उठाने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताओं का काफी हद तक पालन किया गया था। फिर भी, विभाग ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना नियम, 2016 (इसके बाद "2016 के नियम" के रूप में संदर्भित) के लिए कराधान और निवेश व्यवस्था के नियम 3 (4) में निहित प्रावधानों के संदर्भ में कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं किया। जब अभ्यावेदन के बावजूद घोषणा पत्र जारी

नहीं किया गया तो याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका दायर की।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि भले ही याचिकाकर्ता ने कानून के तहत निर्धारित वैधानिक रूप में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया था, फिर भी, उससे जब्त की गई कुल राशि में से, उचित समायोजन किया गया था, जिसका अर्थ था कि प्रत्यर्थीगण ने पीएमजीकेवाई योजना के लाभ के विस्तार के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर कार्रवाई की थी। इस प्रकार पीएमजीकेवाई योजना के तहत देय राशि को समायोजित करने के बाद, प्रत्यर्थी घोषणा का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए बाध्य थे।

5. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण के विद्वान वकील ने मुख्य रूप से इस आधार पर याचिकाकर्ता के दावे का विरोध किया कि पीएमजीकेवाई योजना का लाभ उठाने के उद्देश्य से, याचिकाकर्ता को कानून की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक था।

6. इस बात पर प्रकाश डाला गया कि अधिसूचना का पैरा 3(4) फॉर्म-2 में प्रधान आयकर आयुक्त द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने की शर्त निर्धारित करता है। पीएमजीकेवाई योजना के नोटिंग पैरा 3(1) में, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि घोषणा फॉर्म - 1 में की जानी है और पैरा 3(2) दाखिल करने की विधि निर्धारित करता है। उपरोक्त वैधानिक घोषणा निर्धारित तिथि अर्थात 10.05.2017 (विस्तारित तिथि) पर या उससे पहले प्रस्तुत की जानी आवश्यक थी। वह आगे यह भी कहेंगे कि वैधानिक फॉर्म एक खाली औपचारिकता नहीं है क्योंकि इसके लिए कुछ वैधानिक घोषणा की आवश्यकता होती है। वैधानिक फॉर्म में अनिवार्य वैधानिक घोषणा के बिना याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत एक साधारण आवेदन याचिकाकर्ता को पीएमजीकेवाई योजना का लाभ पाने का हकदार नहीं बनाता है और यदि उस पीएमजीकेवाई योजना के तहत कोई राशि समायोजित की गई है, तो कानून के अनुसार उक्त राशि से निपटा जाना होगा लेकिन इसे पीएमजीकेवाई योजना का लाभ बढ़ाने का आधार नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि व्याख्यात्मक नोट दिनांक 27.12.2016 वर्तमान मामले पर लागू नहीं है और याचिकाकर्ता वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल होने के बावजूद योजना के लाभ का हकदार नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व का विधिवत उत्तर पत्र दिनांक 13/14.05.2019 के माध्यम से दिया गया था और दावा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उसे फॉर्म-1 में 10.05.2017 तक घोषणा दाखिल करने की

आवश्यकता थी। चूंकि याचिकाकर्ता ऐसा कोई फॉर्म जमा करने में विफल रहा, इसलिए याचिकाकर्ता के पक्ष में घोषणा प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है। प्रत्यर्थीगण के विद्वान वकील का कहना है कि, भले ही, उनके अभ्यावेदन को खारिज करने वाला उक्त आदेश पारित किया गया था, जिसकी प्रति भी रिकॉर्ड पर रखी गई है, याचिकाकर्ता ने इसे चुनौती नहीं देने का विकल्प चुना है और न ही राहत खंड में संशोधन किया है। चूँकि याचिका अस्वीकृति आदेश के बाद दायर की गई थी, उसे चुनौती दिए बिना, याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

7. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

8. भारत के असाधारण राजपत्र में 15.12.2016 को प्रकाशित कराधान कानून (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 की संख्या 48) के तहत, आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2016 में नया अध्याय IX क' जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 के लिए कराधान और निवेश व्यवस्था प्रदान करता है जोड़कर संशोधन किया गया था। धारा 199ग निम्नानुसार अघोषित आय की घोषणा का प्रावधान करती है:-

> "199ग. (1) इस योजना के प्रावधानों के अधीन, कोई भी व्यक्ति इस योजना के प्रारंभ होने की तारीख को या उसके बाद, लेकिन आधिकारिक राजपत्र में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख को या उससे पहले, किसी के संबंध में घोषणा कर सकता है। आय, नकदी के रूप में या किसी निर्दिष्ट इकाई वाले व्यक्ति द्वारा रखे गए खाते में जमा राशि, 1 अप्रैल, 2017 को या उससे पहले शुरू होने वाले किसी भी मूल्यांकन वर्ष के लिए आयकर अधिनियम के तहत कर योग्य है।
>
> (2) किसी भी व्यय या भत्ते के संबंध में कोई कटौती या किसी नुकसान की भरपाई उस आय के विरुद्ध नहीं की जाएगी जिसके संबंध में उप-धारा (1) के तहत घोषणा की गई है।
>
> स्पष्टीकरण.-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "निर्दिष्ट इकाई" का अर्थ होगा-
>
> (i) भारतीय रिज़र्व बैंक;
>
> (ii) कोई भी बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक, जिस पर बैंकिंग विनियमन

अधिनियम, 1949 लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित);

(iii) कोई प्रधान डाकघर या उप-डाकघर; और

(iv) कोई अन्य इकाई जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जा सकता है।

9. पीएमजीकेवाई योजना से पता चलता है कि लाभ प्राप्त करने के लिए, किसी व्यक्ति को केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली तारीख को या उससे पहले किसी भी आय के संबंध में नकद या नकदी के रूप में घोषणा करनी होगी। एक निर्दिष्ट इकाई के साथ व्यक्ति द्वारा रखे गए खाते में जमा राशि, 1 अप्रैल, 2017 को या उससे पहले शुरू होने वाले किसी भी मूल्यांकन वर्ष के लिए 1961 के अधिनियम के तहत कर के दायरे में आती है। इसलिए, पीएमजीकेवाई योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए घोषणा प्रस्तुत करना पूर्व शर्त है।

10. धारा 199छ में घोषणा के तरीके का प्रावधान इस प्रकार है:-

"धारा 199ग की उप-धारा (1) के तहत एक घोषणा आयकर अधिनियम की धारा 140 के तहत आय की विवरणी को सत्यापित करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रधान आयुक्त या इसके लिए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित आयुक्त को की जाएगी और ऐसे प्रारूप में होगा और ऐसे तरीके से सत्यापित किया जाएगा, जैसा निर्धारित किया जा सकता है।

11. इसलिए, कोई भी व्यक्ति जो पीएमजीकेवाई योजना 2016 का लाभ लेना चाहता है, उसे धारा 199छ के तहत आवश्यक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

12. वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 199क की उप-धारा (2) और धारा 199ग की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने 16.12.2016 को अधिसूचना जारी की और 17 दिसंबर, 2016, की तारीख तय की। वह तारीख जिस दिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 के लिए कराधान और निवेश व्यवस्था लागू होनी थी। इसने मार्च, 2017 के 31वें दिन को उस तारीख के रूप में नियत किया, जिस पर या उससे पहले, कोई व्यक्ति उक्त धारा 199ग की उप-धारा (1) के तहत घोषणा कर सकता

था।

13. दिनांक 16.12.2016 की अधिसूचना, जिसे "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए कराधान और निवेश व्यवस्था, 2016" कहा जाता है, के तहत वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 199द के तहत प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए नियम भी बनाए गए थे। नियम 3 फॉर्म-1 में धारा 199ग की उपधारा (1) के तहत एक निर्दिष्ट इकाई के साथ रखे गए खाते में नकदी या जमा के रूप में आय की घोषणा का प्रावधान करता है। हालाँकि, नियम 3 का उप-नियम (3) यह प्रावधान करता है कि यदि कोई व्यक्ति, नियम 3 के उप-नियम (2) के तहत एक घोषणा प्रस्तुत करता है, तो उसमें कोई चूक या कोई गलत विवरण पाता है, वह धारा 199ग की उपधारा (1) के तहत घोषणा दाखिल करने के लिए अधिसूचित तिथि से पहले एक संशोधित घोषणा प्रस्तुत कर सकता है।

14. नियम 3 के उप-नियम (4) में प्रधान आयुक्त या आयुक्त को उस महीने के अंत से तीस दिनों के भीतर घोषणाकर्ता को फॉर्म-2 में प्रमाणपत्र जारी करने की आवश्यकता होती है, जिसमें धारा 199ग की उप-धारा (1) के तहत एक वैध घोषणा प्रस्तुत की गई है। नियम 2016 के नियम 3 के साथ संलग्न और संदर्भित वैधानिक प्रपत्र-1, विभिन्न स्तंभों के बीच, नीचे दिए गए सत्यापन और सत्यनिष्ठ घोषणा के लिए प्रावधान करता है:-

<u>सत्यापन</u>

मैं .....। (पूरा नाम बड़े अक्षरों में) श्री ..... के पुत्र/पुत्री/पत्नी (पिता/पति का नाम) एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि-

(क) इस घोषणा में दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है;

(ख) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 के संबंध में वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 199-ण के खंड (क) के प्रावधान मुझ पर लागू नहीं हैं;

(ग) भारतीय दंड संहिता, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967, भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988, बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के

संबंध में वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 199ण के खंड ख के प्रावधान मुझ पर लागू नहीं होते हैं;

(घ) मुझे विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों में लेनदेन से संबंधित अपराधों का परीक्षण) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के तहत सूचित नहीं किया गया है;

(ङ) घोषित आय काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत कर योग्य नहीं है;

मैं आगे घोषणा करता हूं कि मैं यह घोषणा अपनी ... (पदनाम) हैसियत से कर रहा हूंऔर यह कि मैं यह घोषणा करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं।

.....

(हस्ताक्षर)

स्थान .....

तारीख .....

15. इस प्रकार, यह देखा गया है कि पीएमजीकेवाई योजना, 2016 का लाभ उठाने के लिए आवेदन जमा करते समय देय कर, अधिभार और जुर्माने के लिए विभिन्न जमा करने के अलावा, वैधानिक घोषणा आवश्यक है।

16. इसके अलावा, इसमें कोई विवाद नहीं है कि पीएमजीकेवाई योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि, जैसा कि दिनांक 16.12.2016 की अधिसूचना में अधिसूचित किया गया था, 31 मार्च, 2017 घोषित की गई थी, जो बाद में थी , 10.05.2017 तक बढ़ाया गया। इसलिए, यदि आवेदक वैधानिक पीएमजीकेवाई योजना का लाभ उठाने का इरादा रखता है, तो उसे कानून के तहत वैधानिक फॉर्म-1 में उचित आवेदन जमा करना आवश्यक था, न केवल जमा के विभिन्न विवरण देने बल्कि सत्यनिष्ठ वैधानिक घोषणाएं भी देनी थीं जो अनिवार्य थीं। जब तक कोई आवेदन कानून के तहत निर्धारित तरीके से नहीं किया जाता है, कानून के तहत निर्धारित पीएमजीकेवाई योजना के लाभ का दावा नहीं किया जा सकता है।

17. याचिकाकर्ता ने कभी भी वैधानिक प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया-

1 वैधानिक रूप से आवश्यक सत्यनिष्ठ घोषणा के साथ किसी भी सत्यापन से कम।

याचिकाकर्ता बैंकों ने रिकॉर्ड पर रखे गए एक साधारण आवेदन पर कहा कि यह 28.03.2017 को दायर किया गया था (अनुलग्नक-3)। उक्त आवेदन की सामग्री में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने यह घोषणा करते हुए राशि जमा करने की पेशकश की कि जब्त की गई नकदी में से कर, अधिभार और जुर्माने के भुगतान के लिए उचित समायोजन किया जा सकता है, लेकिन उक्त आवेदन में या संलग्न हलफनामे में कुछ भी नहीं था, साथ ही कानून के तहत अपेक्षित सत्यनिष्ठ घोषणा भी शामिल है। वर्तमान में ऐसा कोई मामला नहीं है, हालांकि, आवेदन पूर्ण रूप से फॉर्म-1 में के अनुरूप नहीं है, जैसा कि नियमों के तहत आवश्यक है, अन्यथा इसमें कानून के तहत आवश्यक सभी आवश्यक विवरण और घोषणाएं शामिल हैं।

18. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने न तो वैधानिक फॉर्म जमा किया और न ही उचित सत्यापन के माध्यम से कानून के तहत आवश्यक सत्यनिष्ठ घोषणा प्रस्तुत की, विभिन्न पहलुओं पर सत्यापन और सत्यनिष्ठ घोषणा की आवश्यकता वाले वैधानिक प्रावधान को निर्देशिका के रूप में नहीं माना जा सकता है, लेकिन प्रकृति में यह अनिवार्य है। भले ही यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने रु. 31,00,000/- की जब्त नकदी में से समायोजित करके कर, अधिभार और जुर्माने का भुगतान करने की पेशकश की है, अनिवार्य वैधानिक घोषणा प्रस्तुत न करने पर याचिकाकर्ता पीएमजीकेवाई योजना इसका लाभ लेने का हकदार नहीं है। पीएमजीकेवाई योजना वैधानिक प्रकृति की होने के कारण, इसका लाभ केवल कानून के तहत प्रदान की गई आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करके ही उठाया जा सकता है, अन्यथा नहीं।

19. याचिकाकर्ता ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना नियम, 2016 के लिए कराधान और निवेश व्यवस्था के नियम 3 के उप-नियम (3) के तहत अपेक्षित उचित घोषणा प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता का लाभ नहीं उठाया। उपरोक्त उपबंध के यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि कोई भी व्यक्ति, उप-नियम (2) के तहत घोषणा प्रस्तुत करने के बाद, उसमें कोई चूक या कोई गलत बयान पाता है, तो वह धारा 199ग की उप-धारा (1) के तहत घोषणा दाखिल करने के लिए अधिसूचित तिथि पर या उससे पहले एक संशोधित घोषणा प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए, आवेदन जमा करने की विस्तारित तिथि अर्थात 10.05.2017 को या उससे पहले, याचिकाकर्ता के लिए नियमों के साथ संलग्न वैधानिक फॉर्म-1 में दिए गए

सत्यापन और गंभीर वैधानिक घोषणा पर सभी आवश्यक विवरण युक्त उचित आवेदन दाखिल करना अभी भी खुला था।

20. इस याचिका में भी, याचिकाकर्ता ने फॉर्म-1 में दिए गए सत्यापन खंड के तहत खंड (ख), (ग), (घ) और (ङ) में उल्लिखित घोषणाओं के संदर्भ में कोई दलील नहीं दी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उपरोक्त पहलू पर घोषणा 10.05.2017 को या उससे पहले प्रस्तुत की जानी आवश्यक थी।

वैधानिक योजना की परिकल्पना है कि केवल वे लोग जो फॉर्म-1 में दिए गए सत्यापन खंड के तहत खंड (ख), (ग), (घ) और (ङ) में प्रदान की गई किसी भी अयोग्यता से पीड़ित नहीं हैं, वे योजना के लाभ के हकदार होंगे। ऐसा होने पर, पीएमजीकेवाई योजना का लाभ उठाने के लिए सत्यनिष्ठ घोषणा वास्तव में एक अनिवार्य आवश्यकता और शर्त थी। सत्यापन और स्पष्टीकरण मांगने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आवेदक बेदाग रिकॉर्ड वाला व्यक्ति है, न कि खंड (ख), (ग), (घ) और (ङ) के तहत इंगित दोष वाला व्यक्ति। इसलिए, हमारी सुविचारित राय है कि निर्धारित प्रपत्र में सत्यनिष्ठ वैधानिक घोषणा प्रस्तुत न करना घातक है और याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है ताकि प्रत्यर्थी-प्राधिकरण को वैधानिक योजना का लाभ देने का आदेश जारी किया जा सके, भले ही कानून ऐसे लाभों के विस्तार पर विचार नहीं करता है।

21. **विजयकिरण कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड बनाम उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (रिकवरी 41) बीसीडी 2 और 4, बैंगलोर और अन्य रिट याचिका संख्या 4491, 2010, के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय निर्णय पर भरोसा रखा जो** तथ्यों और कानून दोनों पर गलत है। उस मामले में, **उदय शंकर त्रियार बनाम राम कलेवर प्रसाद सिंह, (2006) 1 एससीसी 75** के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए दलील कि, अपील के ज्ञापन या आवेदन से संबंधित किसी भी प्रक्रियात्मक आवश्यकता का अनुपालन न करना या राहत के लिए याचिका में स्वत: बर्खास्तगी या अस्वीकृति नहीं होनी चाहिए, जब तक कि प्रासंगिक क़ानून या नियम यह आदेश न दे कि राहत दी गई है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, जैसा कि यहां नीचे दिया गया है, याचिकाकर्ता वैधानिक पीएमजीकेवाई योजना का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य वैधानिक आवश्यकता का पालन करने में विफल रहा है।

अत: उपरोक्त निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है।

22. एक और कारण है कि हम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं। हम ध्यान दें कि हालांकि प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 13/14.05.2019 के संचार/आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करने का आदेश पारित किया, लेकिन याचिकाकर्ता ने उक्त आदेश को चुनौती देने के लिए याचिका में संशोधन नहीं किया है। याचिका 15.05.2019 अर्थात उक्त आदेश पारित होने की तारीख के बाद दायर की गई थी। इसलिए, याचिका भी उपरोक्त दोष से ग्रस्त है। हालाँकि, हम याचिकाकर्ता को अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति देते, लेकिन गुण-दोष के आधार पर हमारे विचार के मद्देनजर, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता का अन्यथा किसी राहत का इरादा नहीं है।

23. हम प्रत्यर्थीगण के उत्तर से यह भी नोटिस करते हैं कि याचिकाकर्ता के मामले में निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष 2017-18 के लिए एक मूल्यांकन आदेश भी आयकर अधिनियम की धारा 153ख (1) (ख) के साथ पठित धारा 143(3) के तहत 24.12.2018 को मूल्यांकन आदेश पारित किया गया था। उक्त मूल्यांकन आदेश में, कुल लौटाई गई आय रु. 4,04,680/- के विरुद्ध आय रु. 36,74,660/- निर्धारित की गई, जिसमें उनकी कुल आय में जोड़ी गई रु. 31,00,000/- की राशि शामिल है जो आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 115 खखङ के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 69क के तहत अस्पष्टीकृत धन पर 60% की दर से कर लगाया गया और आकलन वर्ष 2017-18 के लिए उनकी कुल आय में जोड़ा गया। नतीजतन, याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 271ककख (1क) (ख) के तहत जुर्माने की कार्यवाही शुरू की गई, जिसमें विभिन्न मांगों पर आयकर के रूप में 24,23,005/- रुपये का जुर्माना लगाया गया। याचिकाकर्ता के खिलाफ उत्पन्न उक्त मांग के विरुद्ध 15,59,930/- रुपये की राशि का समायोजन किया गया है। याचिकाकर्ता ने एक अपील दायर की थी, जिसे आयकर आयुक्त (अपील)-4 ने भी मूल्यांकन आदेश को बरकरार रखते हुए खारिज कर दिया है और उपरोक्त आदेश के खिलाफ अपील विद्वान आईटीएटी, जयपुर के समक्ष लंबित है।

24. तदनुसार, हमें याचिका में कोई गुणागुण नहीं पाया गया और इसे खारिज किया जाता है।

(आशुतोष कुमार), न्यायमूर्ति (मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव), न्यायमूर्ति

Karav 57

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।